सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 24, गुरूवार, *शाके* 1945-मार्च 14, 2024 *Phalguna 24, Thursday , Saka 1945- March 14 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 13, 2024

संख्या: 22/भू.अ./ज.स./2023/371-377:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रामगढ एंव महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत मेज पम्प हाउस का निर्माण, मेज पम्प हाउस से गलवा बांध तक फीडर निर्माण, गलवा बांध से ईसरदा बांध तक फीडर निर्माण, गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु **महाप्रबन्धक, ई आर सी पी सी एल, पी आई यू- III टोंक** को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3(जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev -7/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत **उपखण्ड अधिकारी - लाखेरी, नैनवा एवं अतिरिक्त कलेक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली** सबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

<u>विवरण</u>

महाप्रबन्धक, ई आर सी पी सी एल, पी आई यू- III टोंक के अन्तर्गत रामगढ एंव महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत मेज पम्प हाउस का निर्माण, मेज पम्प हाउस से गलवा बांध तक फीडर निर्माण, गलवा बांध से ईसरदा बांध तक फीडर निर्माण, गलवा पम्प हाउस का निर्माण एवं गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण में आने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् विवरण:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-	खेडली देवजी	रेबारपुरा	इन्द्रगढ़	बून्दी	उपखण्ड अधिकारी,
2		लाखेरी (ग्रामीण)	सखावदा			

3	गलवा- बीसलपुर - ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत मेज पम्प हाउस का निर्माण	चमावली	उतराना			लाखेरी
4	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा- बीसलपुर - ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत मेज पम्प हाउस से गलवा बांध तक फीडर निर्माण।	अरनेठा	अरनेठा	नैनवा	बून्दी	उपखण्ड अधिकारी, नैनवा
5		बटावदी	कैथूदा			
6		हीरापुर	भजनेरी			
7		जरखोदा	जरखोदा			
8		कलमिया	जरखोदा			
9		करवर	करवर			
10		संगतपुरा	कैथूदा			
11	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा- बीसलपुर - ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत मेज पम्प हाउस से गलवा बांध तक फीडर निर्माण।	दोबडिया	खातोली	उनियारा	टोंक	अति. कलेक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली
12		गांगली	खातोली			
13		झुण्डवा	झुण्डवा			
14		पगडा	खातोली			
15		पगडी	खातोली			
16		रोहित	खातोली			
17		उस्मानपुरा	झुण्डवा			
18		खातोली	झुण्डवा			
19	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा- बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा बांध से ईसरदा बांध तक फीडर निर्माण	बून्दी	रूपपुरा	उनियारा	टोंक	अति. कलेक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली
20		ढ़िकोलिया	ढ़िकोलिया			
21		उनियारी	पलाई			
22		चैनपुरा	ढ़िकोलिया			
23		फतेहगंज	रूपपुरा			
24		रूपपुरा	रूपपुरा			
25		खेलनिया	खेलनिया			
26		श्रीपुरा	रूपपुरा			
27		हरदतपुरा	रूपपुरा			
28		उदयपुरिया	खेलनिया			
29		उनियारा	उनियारा			
30		सूथडा	सूथडा			
31		बनेठा	बनेठा			
32		हुकमपुरा	ढ़िकोलिया			
33		विजयगढ़	मोहम्मदगढ़			
34	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-	चतरपुरा	सून्ट्रा	उनियारा	टोंक	अति. कलेक्टर (पुर्नवास) एवं
35		पलाई	पलाई			

36	गलवा- बीसलपुर - ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण।	बिलासपुरा	बिलासपुर			भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली
37		देवपुरा	बिलासपुर			
38		देवपुराकलां	रानीपुरा			
39		कल्याणपुरा	रानीपुरा			
40		लक्ष्मीपुरा-फुलेता	रानीपुरा			
41		रघुनाथपुरा	मोदपुरा			
42		रतनपुरा	रानीपुरा			
43		विजयनगर	रानीपुरा			
44		बालापुरा	फलतापुरा			
45		भांकरवाड़ी	कचरावता			
46		बोसरिया	बोसरिया			
47		खेड़ली	बोसरिया			
48		लक्ष्मीपुरा- प्लाई	बोसरिया			
49		रामपुरा	बोसरिया			
50		देवोरी	बोसरिया			
51	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा- गलवा- बीसलपुर - ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण।	चांदसिंहपुरा	चांदसिंहपुरा	दूनी	टोंक	अति. कलेक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली
52		दूनी	दूनी			
53		घाड़	घाड़			
54		नयागांव गोठडा	चांदसिंहपुरा			
55		डाटुन्दा	घाड़			
56		चांदसिंहपुरा	चांदसिंहपुरा			
57		हनुमानपुरा	चांदसिंहपुरा			
58	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा- गलवा- बीसलपुर - ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण।	बहेलारी	चारनेट	नगरफोर्ट	टोंक	अति. कलेक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली
59		चारनेट	चारनेट			
60		गेरोटा	रामसागर			
61		हीरापुरा	रामसागर			
62		कोटडा	चारनेट			
63		गेरोती	चारनेट			
64		केदारा	चारनेट			
65		महाराजकवपुरा	रामसागर			
66		नगर	नगर			
67		उदयपुरा	नगर			
68	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा- गलवा- बीसलपुर	बालापुरा	निवारिया			अति. कलेक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति
69		भीमपुरा	निवारिया			
70		भिवडावास	गावडी			

71	ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण।	चकखेड़ा	गांवडी	देवली	टोंक	अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली
72		दहाता	सांवतगढ़			
73		गांधीग्राम	संताली			
74		गोपीपुरा	पंवार			
75		कासीर	कासीर			
76		क्वरपुरा	धुंवा कलां			
77		खीर गांवडी	गंवडी			
78		महाराजपुरा	निवारीया			
79		निवारीया	निवारीया			
80		पनवाड़	पनवाड़			
81		रतनपुरा	बीसलपुर			
82		साडयावास	सावंतगढ़			
83		सग्रामपुरा	बिजवाड़			
84		सारदड़ा	चंदाली			
86		गंभीरा	गंभीरा			

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	महाप्रबन्धक, ई आर सी पी सी एल, पी आई यू-III टोंक
(ख)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर -ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत मेज पम्प हाउस का निर्माण , मेज पम्प हाउस से गलवा बांध तक फीडर निर्माण, गलवा बांध से ईसरदा बांध तक फीडर निर्माण, गलवा पम्प हाउस का निर्माण एंव गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण तहसील इन्द्रगढ़, नैनवा, जिला बून्दी एंव तहसील उनियारा, दूनी, देवली जिला टोंक योजनान्तर्गत कुल क्षेत्रफल 1299.53 हेक्टर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य	1) परामर्श

(ग)	और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत: (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयां भी दें।	2) सर्वेक्षण 3) सार्वजनिक सुनवाई
(घ)	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे मे कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(ड)	सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय के अनुसार
(च)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी	हाँ
(छ)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	महाप्रबन्धक, ई आर सी पी सी एल, पी आई यू-III टोंक

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।